निर्णय बइजलास न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा
श्री मेवाराम नागर R.A.S. द्वारा उद्घोषित

दावा नम्बर :- 102/2011

दायरा दिनांक :- 21/6/2011

निर्णय दिनांक :- 19-12-2017

उनवान

मूर्ति मंदिर श्री राम जानकी जी विराजमान पुराने अस्पताल के पास छबड़ा नाबालिग जरिये पुजारी व संरक्षक भोगीदास पुत्र भूरादास जाति बैरागी निवासी- छबड़ा तहसील छबड़ा - जिला- बारां (मृतक). (वादी.)

1/1 गंगाबाई पुत्री भोगीदास
1/2 सत्यनारायण पुत्र भोगीदास
1/3 तारा बाई पुत्री भोगीदास
1/4 रामनारायण पुत्र भोगीदास जातियान बैरागी निवासीगण छबड़ा तहसील छबड़ा जिला- बारां (राज०) (वादीगण)

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र भंवरलाल जाति गाडरी गूजर नि० चाचोड़ा
2. श्री प्रेम चन्द रघुनाथ जाति गाडरी गूजर नि० बारई
3. हर गोविन्द पुत्र पन्नालाल जाति गाडरी गूजर नि० जेपला तहसील छबड़ा जिला- बारां (राज०) [प्रतिवादीगण]

वाद अन्तर्गत धारा - 183, 188 RTA

19.12.17

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

खाता नम्बर 102/01 मूर्ति मंदिर राम जानकी वि. आम जनता-

(2)

उपस्थित अभिभावक गण :- 1. मोहम्मद आलम हाशमी एड०
2 - अब्दुल हसीब आलम एडवोकेट
(वादीगण की ओर से)

- प्रतिवादी गण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं है।

प्रकरण मे नियत दिनांक अनुसार पत्रावली आज पेश होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को आवाज दिलवाई गयी, अभिभाषक वादीगण उपस्थित है, प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं, प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी, वकील वादी की बहस सुनी गयी, वादी के वाद का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार से है कि :- मूर्ति मन्दिर राम जानकी श्री महाराज के नाम से एक मन्दिर छबड़ा कस्बे मे पुराने अस्पताल के पास स्थित है, इस मंदिर की आराजी क्रमश ग्राम चोचाडा ख.न. $\frac{26}{10.10}$ एवं बारई मे ख.न. $\frac{66}{0.19}$, ग्राम जेपला मे ख.न. $\frac{566}{1.17}$ स्थित है, वादी मूर्ति नाबालिग है, मोजीदास उक्त मंदिर की सेवा पूजा करता चला आ रहा है पुजारी है, इस कारण मूर्ति का संरक्षण है, उक्त आराजीयात का उपयोग -

निरन्तर

19-12-17

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

व उपयोग कर रहे हैं, आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। वादीगण वाद पेश कर चाहते है कि वाद मे वर्णित आराजी पर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे।
प्रतिवादीगण की ओर से वाद का जवाब पेश किया उसमे विशेष आपत्तियो मे वर्णित किया है कि वादी द्वारा स्वयं मूर्ति मंदिर श्री राम जानकी जी महाराज के खाते की वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात को हड़पने की नियत से मिथ्या एवं बेबुनियाद आधार पर उक्त वाद पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज काबिल है। वादीगण उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते है, जिसका मूर्ति मंदिर पर विपरीत प्रभाव होगा। मूर्ति मंदिर श्री रामजानकी जी की सेवा पूजा एवं समस्त प्रकार के खर्च की व्यवस्था वीर गूजर गडरिया समाज छबड़ा द्वारा 1956 से आज तक नियमित रूप से श्रद्धा व आस्था के साथ की जाती रही है। उक्त आराजीयात को खरीद कर मूर्ति मंदिर श्री राम जानकी जी के खाते करवाई है। आराजीयात से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के तेल-भोग. सेवा पूजा आदि कार्यो में काम ली जाती है।
प्रस्तुत दस्तावेज निम्न प्रकार है, EX-1 नकल जमाबंदी ग्राम जेपाला खाता सं. 148 सम्वत् 2050-53 आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 1.17 बीघा खातेदार मन्दिर श्री राम जानकी जी बिराजमान छबड़ा धर्मवर वीर गूजर समाज छबड़ा व्यवस्थापक हरगोविन्द पुत्र पन्नालाल गाडरी-

निरन्तर - 4

19.12.17

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

साकिन छेपला एवं नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत 2050-53 खाता सं. 173 आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.19 बीघा खाता मूर्ति मन्दिर श्री राम जानकी जी महाराज विराजमान पुराने अस्पताल के पास कस्बा छबड़ा जरिये दान पत्र नामा नं० 516 एवं नकल जमाबन्दी छायाप्रति ग्राम चाचोडा सम्वत 2055-2058 खाता सं० 199 आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 10.10 बीघा खाता मंदिर - श्री राम जानकी विराजमान छबड़ा, तदउपरान्त प्रकरण में तनकीहात कायम की गयी जिसका विवरण आगे विवेचन के समय वर्णित किया जावेगा। साक्ष्य वादी सत्यनारायण का शपथ पत्र पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा विवेचन भी किया गया है। प्रकरण में पेशी दिनांक 19/5/2017 को न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प-चाचोडा पर मजमे आम वादी सत्यनारायण उपस्थित आया. प्रतिवादीगण कोई उपस्थित नहीं हुए, वादी ने कहा कि प्रकरण बहुत पुराना है, वाद का निर्णय फरमाया जावे. इसके उपरान्त मूल वाद की बहस हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में जेरकार रहा, प्रकरण में पेशी दिनांक 12/12/2017 को वकील प्रतिवादी अवगत कराया कि वाद में नो इन्ट्रेस्ट - तदउपरान्त वकील वादी से बहस मूल वाद पर सुनी गयी, वकील वादी का कथन है कि वाद में वर्णित आराजी मूर्ति मंदिर के खाते दर्ज है, वादीगण पुजारी है, इसलिए वाद स्वीकार फरमाकर, वादीगण के खाते दर्ज फरमावे।

निरन्तर - 5

[signature] 19.12.17

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

बाद पत्र मे कायमं की गयी तनकीयात जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है।

तनकी नं० :- 1 आया वादी मूर्ति मंदिर राम जानकीजी नाबालिग है, मोगीदास उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करता चला आ रहा है, वह मन्दिर का पुजारी एवं मूर्ति का संरक्षक है। इस तनकी का भार वादी पर था। (वादी)

विवेचन :- वादी मूर्ति मन्दिर राम जानकी नाबालिग है, एवं मोगीदास उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करता था, मोगीदास का स्वर्गवास हो चुका है। वारिसान कायम मुकाम हो चुके है। यह तनकी सिर्फ मूर्ति मंदिर के पक्ष मे जाती है। पुजारी के पक्ष मे नहीं है।

तनकी नं० :- 2 आया वाद पत्र की चरण क्रमांक 1 मे वर्णित मन्दिर की भूमियो पर प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है, वो विवादित भूमियो से बेदखल किये जाने योग्य है। इस तनकी का भार वादी पर था। (वादी)

विवेचन :- प्रकरण मे ऐसा कोई दस्तावेज या स्वतंत्र साक्ष्य नहीं आया कि प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा किया है। यह तनकी सिर्फ मूर्ति मंदिर के पक्ष मे निर्णय की जाती है।

तनकी नं० 3 :- आया कि मूर्ति मन्दिर की सेवा पूजा एवं समस्त प्रकार के खर्चे की व्यवस्था वीर खमर शहरिया समाज छबडा द्वारा सन् 1956 से आज तक की जाती है, मन्दिर की भूमियो की काश्त व्यवस्था भी वीर खमर गाडली पंचायत छबडा द्वारा की जाती है। इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। [प्रतिवादीगण]

विवेचन :- प्रतिवादीगण की ओर से जो जवाब पेश किया है, उसमे वर्णित किया है कि मूर्ति मंदिर की व्यवस्था समाज की पंचायत द्वारा की जाती है, लेकिन इस सम्बन्ध मे कोई स्वतन्त्र साक्ष्य-गवाह पेश नहीं किये है। यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे नहीं है। बल्कि मूर्ति मंदिर का अधिक

निरन्तर - 6

19.12

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

तनकी नं० 5 :- आया उक्त की सेवा पूजा से सम्बन्धित वाद दीवानी न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व०ख०) छबड़ा मे विचाराधीन होने से यह वाद आदेश-2 नियम-2 एवं धारा 151 CRPC के तहत वर्जित है। (प्रतिवादीगण)

विवेचन :- दीवानी न्यायालयों से निर्णय होकर, निर्णयो की प्रतियां वादी द्वारा वाद पत्र प्रकरण मे शामिल करवायी है। यह तनकी - प्रतिवादी के पक्ष नही है। बल्कि मूर्ति मंदिर के पक्ष मे निर्णित है।

तनकी नं० 5 : आया पंचायत गडरिजन समाज को पक्षकार बनाकर प्रतिनिधिक वाद प्रस्तुत करना चाहिए था इनके अभाव मे वाद चलने योग्य नही है, इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। (प्रतिवादीगण)

विवेचन : प्रतिवादीगण का उक्त कथन वैधानिक नही है। पंचायत गडरिजन समाज यदि पक्षकार बनना चाहते तो अपना प्रार्थना पत्र पेश कर सकते थे। यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे नही है। मूर्ति मन्दिर के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

हमने वकील वादी की एक तरफा बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र एवं दस्तावेज, साक्ष्य शपथ पत्र, समस्त पत्रादि का अध्ययन कर, तनकी वार विवेचन किया है, मुख्य रूप से यह तथ्य स्पष्ट हुए है कि वाद मे वर्णित आराजी तहसील छबड़ा के ग्राम - चाचोड़ा, जैपला, बाईई कुल तीन ग्रामो मे स्थित है, जो मन्दिर श्री राम जानकी जी विराजमान छबड़ा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसलिए वर्तमान नियमो के अनुसार वादी का स्वीकार करने योग्य नही है।

निरन्तर - 7

19/12/17

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

दावा न. 102/2001 मूर्ति मंदिर राम जानकी वि. अन्य

(7)

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

समस्त विवेचनानुसार वादी का वाद धारा 183, 188 RTA अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। वाद मे वर्णित आराजी ग्राम चाचोडा की खसरा नम्बर $\frac{26}{10.10}$ एवं बारई ख. न. $\frac{66}{0.19}$ ग्राम जैपला की आराजी ख. न. $\frac{566}{1.17}$ पर मूर्ति मंदिर श्री राम जानकी जी महाराज विराजमान पुराने अस्पताल के पास स्थित कस्बा छबड़ा को खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार तहसीलदार - छबड़ा उक्त तीनो ग्रामो के राजस्व रिकार्ड - जमाबन्दी मे प्रविष्टि करे, अन्य इन्द्राज को खारिज किया जावे, आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार कोटा को उक्त भूमि के संरक्षण एवं विकास हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा उक्त मंदिर के विकास हेतु समिति का गठन किया जावे। तदनुसार डिक्री परचा जारी किया गया। [signature] 19.12.17

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (राज.)

...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

डिक्री

102 / 2001	धारा अंतर्गत 183, 188 RTA		निर्णय दिनांक 19/12/2017

श्री लेकेराम नागर R.A.S.

स्थिति :– अभिभाषक वादी श्री ओ०प्रकाश शर्मा | अभिभाषक प्रतिवादी EX.

वाद शीर्षक

मूर्ति मन्दिर श्री राम जानकी जी विराजमान पुराने अस्पताल के पास छबड़ा नाबालिग जरिये पुजारी व संरक्षक भोगीराम पुत्र रघुराम जाति बैरागी निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) (मृतक)
वारिसान 1/1 जगन्नाथी पुत्री 1/2 सत्यनारायण पुत्र 1/3 शारदा बाई पुत्री –
1/4 रामनारायण पुत्र समस्त के पिता भोगीराम जातियान बैरागी निवासीगण छबड़ा तह० छबड़ा जिला बारां (वादीगण)
(1) श्री लाल पुत्र भंवरलाल (2) श्री प्रेमचन्द्र पु० रघुनाथ (3) हरगोविन्द पु० पन्नालाल समस्त जाति धाकड़ गुर्जर नि० ... तह० छबड़ा जिला बारां (राज.) (प्रतिवादीगण)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि समस्त विवेचना अनुसार वादी का वाद धारा 183, 188 RTA अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। वाद में वर्णित आराजी ग्राम चांचोड़ा खसरा नम्बर $\frac{26}{10.40}$ एवं बारई ख. नं. $\frac{66}{0.49}$ ग्राम जैपला की आराजी ख. न. $\frac{566}{1.17}$ पर मूर्ति मंदिर श्री राम जानकी जी महाराज विराजमान पुराने अस्पताल के पास स्थित कस्बा छबड़ा को खातेदार घोषित किया जाता है, तदानुसार तहसीलदार छबड़ा उक्त तीनों ग्रामों के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रविष्टि करें, अन्य इन्द्राज को हजफ किया जावे, आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार कोटा को उक्त भूमि के संरक्षण एवं विकास हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा उक्त मन्दिर के विकास हेतु समिति का गठन किया जावे, तदनुसार डिक्री परचा जारी किया जावे।

साथ ही निम्नानुसार.......0.......रु. का व्ययानुतोष.......0.......द्वारा.......0.......को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19/12/2017 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड हस्ताक्षर
छबड़ा उपखण्ड अधिकारी (राज.)
छबड़ा

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		